

संदर्भ सं०

/यूपीसीडा/औ०क्षे०/ओटीएस (मेंटीनेंस)

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 39वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्राधिकरण के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों के उद्यमियों के दिनांक 01.07.2021 तक बकाया देय अनुरक्षण शुल्क के भुगतान हेतु निम्नवत एकमुश्त समाधान योजना उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 20.12.2021 से 20.02.2022 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन करते हुए योजना अवधि के अन्दर चयनित विकल्प के अनुसार भुगतान करते हुए आवंटी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
2. एकमुश्त समाधान योजना में आबंटियों द्वारा दिनांक 01.07.2021 तक देय अनुरक्षण शुल्क पर आवंटी द्वारा योजना का लाभ लिये जाने हेतु प्रथम बार धनराशि जमा किये जाने की तिथि तक ब्याज का आगणन किया जायेगा एवं तदनुसार आगणित ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
3. योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु आबंटी को देयों के भुगतान हेतु दो निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:-

(i) सम्पूर्ण देयों का एकमुश्त भुगतान ।

**अथवा**

(ii) सम्पूर्ण देयों का 25 प्रतिशत upfront भुगतान कर अवशेष धनराशि का तीन ब्याज रहित मासिक किस्तों में भुगतान।

4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक प्रत्येक आबंटी द्वारा देय अनुरक्षण शुल्क की मूल धनराशि, उसपर देय ब्याज तथा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य छूट का विवरण उत्तर प्रदेश सरकार के सिंगल विण्डो सिस्टम Nivesh Mitra पोर्टल (<https://niveshmitra.up.nic.in>) पर उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. आबंटी द्वारा देय उपरोक्तानुसार धनराशि के 25 प्रतिशत का भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान किए जाने के उपरान्त अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 3 समान मासिक ब्याज रहित किस्तों में किया जाना अनिवार्य होगा। किस्तों का भुगतान उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के भुगतान की तिथि से प्रत्येक 01 माह की अवधि में देय होगा। आबंटी द्वारा शेष किस्तों की धनराशि का भुगतान किस्त की निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा उससे पूर्व कभी भी किया जा सकेगा।
6. आबंटी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किसी भी किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि में न किए जाने की दशा में योजना अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय छूट का लाभ समाप्त हो जाएगा। ऐसी दशा में आबंटी द्वारा जमा की गई धनराशि को बिना छूट के देय कुल ब्याज सहित अनुरक्षण शुल्क में समायोजित कर दिया जायेगा तथा अवशेष अनुरक्षण शुल्क एवं ब्याज की देयता की वसूली हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
7. आबंटियों की पोर्टल में प्रदर्शित देयताओं के सम्बन्ध में विसंगतियों/आपत्तियों/अस्पष्टता होने पर आबंटियों द्वारा साक्ष्यों सहित Grievance Raise किये जाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसका निस्तारण सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा Grievance Raise किये जाने की तिथि से 07 दिन की अवधि में निस्तारित करते हुए निस्तारण के अनुसार संशोधित मॉग-पत्र एवं निस्तारण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आबंटियों द्वारा Grievance Raise किये जाने एवं उसके निस्तारण के कारण योजना अवधि/अनुमन्य किस्तों की अवधि में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

8. आबंटियों द्वारा पोर्टल के माध्यम से Grievance Raise करने की अन्तिम तिथि 10.02.2022 होगी तथा उक्त तिथि के उपरान्त पोर्टल पर Grievance Raise करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। पोर्टल के माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त Grievance मान्य नहीं होगी।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक एकमुश्त समाधान योजना के विषय में पूर्ण जानकारी अपने कार्यालय से सम्बन्धित सभी आवंटियों/उद्यमी संगठनों को तत्काल ईमेल/एस0एम0एस0/वाट्सएप द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक आबंटियों द्वारा उक्त योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।

एकमुश्त समाधान योजना का विवरण संलग्नक-1 पर संलग्न है।

(मयूर माहेश्वरी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं० 2353 /यूपीसीडा/औ०क्षे०/ओटीएस (मेंटीनेंस)

दिनांक 16/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, कानपुर।
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, यूपीसीडा
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रश्नगत कार्यालय आदेश को प्राधिकरण/निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

  
(मयूर माहेश्वरी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**प्राधिकरण के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों के उद्यमियों को बकाया देय अनुरक्षण शुल्क के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान योजना का विवरण।**

1. प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटियों द्वारा नियमानुसार देय अनुरक्षण शुल्क में भुगतान न की गई धनराशि पर ब्याज को अलग-अलग इंगित करते हुए अद्यतन देयों के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत पूर्ण विवरण उत्तर प्रदेश सरकार के सिंगल विण्डो सिस्टम Nivesh Mitra पोर्टल <https://niveshmitra.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
2. औद्योगिक भूखण्डों के आबंटियों द्वारा उपरोक्त पोर्टल पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से लागइन कर "OTS Scheme For Maintenance Dues" पर क्लिक करने पर अनुरक्षण शुल्क एवं उसपर देय ब्याज की अद्यतन देयता तथा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य छूट का विवरण प्रदर्शित होगा तथा OTS Scheme के अन्तर्गत भुगतान की सुविधा एवं प्रदर्शित विवरण के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा अस्पष्टता की स्थिति में "Raise Grievances" की सुविधा पोर्टल में उपलब्ध है। इस सुविधा के अन्तर्गत आबंटी द्वारा अधिकतम 1000 अक्षरों में Grievances करते हुए तथा आवश्यक प्रपत्र अपलोड किये जा सकेंगे। उक्त सुविधा के अन्तर्गत आबंटियों द्वारा Grievances Raise किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.02.2022 होगी।
3. Nivesh Mitra पोर्टल पर आबंटियों द्वारा Raise Grievances button पर click करने पर आबंटी द्वारा text box में Grievances को अंकित किया जा सकता है तथा आवश्यक प्रपत्र/साक्ष्य अपलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आबंटी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के समय चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने पर चालान निर्गत होने एवं वास्तविक भुगतान की तिथि तक अनुरक्षण शुल्क पर देय ब्याज आबंटी द्वारा देय होगा।
5. यदि आबंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का एकमुश्त भुगतान का विकल्प चयन किया गया है तो उक्त बिन्दु सं0 4 पर देय धनराशि का मॉगपत्र आनलाईन ई मेल/व्हाट्स एप के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान दिनांक 20.02.2022 तक किया जाना होगा। यदि आबंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत upfront जमा करने का विकल्प चयन किया गया है तो उपरोक्त धनराशि का समायोजन 3 मासिक किश्तों में करते हुए पुर्नरीक्षित किश्तों का विवरण आनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी दशा में योजना के अन्तर्गत मासिक किश्तों के अतिरिक्त किसी भी देय धनराशि का भुगतान योजना अवधि के उपरान्त किये जाने पर योजनान्तर्गत छूट का लाभ आबंटी को उपलब्ध नहीं होगी।
6. योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर प्रक्रिया का Process Flow Chart संलग्न है।

# OTS Scheme Workflow



<p>*If One-time payment is selected by Allottee (Continue to Nivesh Mitra to Complete Payment button):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Date of Application (Continue to Nivesh Mitra to Complete Payment button is clicked) freeze</li> <li>2. Amount freeze</li> <li>3. Validation on eServices side – Last date of payment received 20<sup>th</sup> Feb 2022           <ul style="list-style-type: none"> <li>• If payment not received till this date, then allottee is ineligible -&gt; Reason Rejection due to Non-payment</li> <li>• If payment received after this date, then allottee is ineligible -&gt; Reason Rejection due to Late Payment</li> </ul> </li> </ol>	<p>*If instalment-wise payment is selected by Allottee (Continue to Nivesh Mitra to Complete Payment button):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Date of Application freeze</li> <li>2. Amount freeze</li> <li>3. Validation on eServices side – Last date of payment received before 20<sup>th</sup> Feb 2022           <ul style="list-style-type: none"> <li>• If payment not received till this date, then allottee is ineligible -&gt; Reason Rejection due to Non-payment</li> <li>• If payment received after this date, then allottee is ineligible -&gt; Reason Rejection due to Late Payment</li> </ul> </li> <li>4. Date of subsequent instalment is updated based on when the first payment is received</li> </ol>	<p>**If One Time Payment selected, remaining interest is calculated based on: (Date of Payment Received – Date of Application)</p> <p>If Instalment-wise payment selected, remaining interest is calculated based on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Date of Payment Received – Date of Application)</li> <li>2. Waiver under OTS scheme is applied to the Interest remaining</li> <li>3. Amount is then divided into remaining instalments equally</li> </ol> <p>The remaining amount in case of One-Time Payment is to be received on or before 20<sup>th</sup> Feb 2022 to be eligible for OTS scheme.</p>
---	---	---

Allottee

Nivesh Mitra

eServices

Email/ WhatsApp

### Workflow

1. Login and click on OTS Scheme

Phone Number, Email Id to be passed to eServices along with other parameters

2. Enter Plot Information and click on Find button -OTP

3. Confirm T&Cs on OTS page and click on Proceed button

4. Click on Raise a Grievance

5. Submit Grievance\*

6. Email sent to Allottee and RM along with Complaint details

### OTS

### Scheme

### Grievance

### Workflow

eServices - OTS Grievance MIS

RM

### Workflow

1. Login to eServices and go to RM Activity Page

2. Click on OTS Grievance MIS

4. Update Allottee Ledger accordingly

3. Select the Complaint to be resolved

5. Enter comment, upload notesheet on OTS Complaint page

6. Click on Submit button

7. Email sent to Allottee

#### \*Grievance Details

1. Select Issue from Drop-down
  2. Enter Comments (Text Length – 1000 characters)
  3. Document to be attached
- Only issues related to OTS will be entertained